तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/6907/2002/नागौर रामसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.03.21	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री अशोक नाथ योगी, अधिवक्ता अपीलांट श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 श्री अरूण प्रजापति, अधिवक्ता रेस्पो0 2 से 11 के **<u>निर्णय</u>** अपीलांट ने यह अपील धारा 23(2) राजस्थान सीलिंग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-04-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने अपने निर्णय दिनांक 26.07.71 प्रार्थी रामसिंह के पास 45 स्टैण्डर्ड एकड भूमि मानकर तथा भूमि के दो स्वामी श्रीमती किशनकंवर व जवाहरकंवर को मानते हुये प्रत्येक के हिस्से में 22/1/2 स्टैण्डर्ड एकड भूमि मानकर सीलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया। उसके उपरांत राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि भूम पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासन उप सचिव, राजस्व(सीलिंग) विभाज जयपुर के आदेश दिनांक 15.4.82 द्वारा सीलिंग प्रकरण को रिओपन कर प्रकरण पुनः निर्णित करने हेतु अति0 कलेक्टर, नागौर को प्रेषित किया गया। न्ययालय अति0 जिला कलेक्टर, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 08.03.84 के द्वारा एसेसी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि हेाना नहीं मानते हुये सीलिंग कार्यवाही समाप्त कर दी गयी। राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल में अपील प्रस्तुत की गयी । जिसे मंडल ने अपने आदेश दिनांक 13.02.85 से अपील को स्वीकार कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/6907/2002/नागौर रामसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अति0 जिला कलेक्टर, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 10.4.98 पारित करते हुये अप्रार्थी की 62.05 बीघा भमि अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त आदेश की अपील अप्रार्थी द्वारा राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी। राजस्व मंडल ने अपने निर्णय दिनांक 13. 12.2000 से अपील का स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.4.98 अपास्त करते हुये प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया। राजस्व मंडल द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने के उपरांत अति0कलेक्टर, नागौर ने उभयपक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30.04.02 के द्वारा 18.60 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान कर दिये। न्यायालय अति0 कलेक्टर, नागौर के उक्त निर्णय दिनांक 30.04.02 के विरूद्व यह अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि भूम पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासन उप सचिव, राजस्व(सीलिंग) विभाज जयपुर के आदेश दिनांक 15.4.82 द्वारा सीलिंग प्रकरण को रिओपन करने के आदेश दिये। निर्णय दिनांक 26.07.71 से 6 साल की समयावधि में ही प्ररकण को रिओपन करने के आदेश दिये जा सकते है। मौजूदा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने सीलिंग कार्यवाही को दिनांक 26.07.71 को निर्णित की है एवं रिओपन दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/6907/2002/नागौर रामसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15.4.82 को किया गया जो पूर्णतया मियाद बाहर है। चूंकि रिओपन आदेश ही मियाद बाहर है इसलिए उसके पश्चात की गयी सभी कार्यवाही अविधिक होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि राजस्व मंडल ने अपने रिमाण्ड आदेश दिनांक 13.12.2000 में यह निर्देशित किया था कि प्राधिकृत अधिकारी रामसिंह गोद गया या नहीं के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन करे। इसकी पालना में कुछ गवाहान के बयान कराये गये । उससे स्पष्ट हेाता है कि स्व0 जोरावर सिंह ने अपनी जीवनकाल में अपने वंश को आगे चलाए रखने हेतु अपीलांट रामसिंह को गोद लिया था। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना उचित है कि गोद के लिए गोदनामा लिखित में होना एवं उसके रजिस्टर्ड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिन्दु विधिनुसार गोद के लिए गोद लिया एवं दिया जाना व समस्त धार्मिक कार्यक्रम किया जाना आवश्यक है जो कि मौजूदा प्रकरण में हुये है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने रामसिंह को गोद पुत्र नहीं मानकर जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा भी प्रकरण को रिओपन करने हेतु अति0 कलेक्टर, नपागौर के समक्ष प्रेषित किया तब भी विचाराधीन कार्यवाही में राज्य सरकार ने अपीलांट रामसिंह को मृतक जोरावर सिंह का दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि किशनकंवर का देहांत वर्ष 1968 होने के उपरांत तहसीलदार द्वारा गोद पुत्र रामसिंह एवं मु0 जयदेव कंवर उर्फ जवाहर कंवर के नाम नामांतरकरण तस्दीक किय गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 01.4.66 को मु0जयदेव कंवर उर्फ जवाहर कंवर जीवित थी एवं रामसिंह मृतक जोरावर सिंह का गोद पुत्र था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/6907/2002/नागौर रामसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपने बहस में कथन किया कि रामसिंह दत्तक पुत्र जोरावरसिंह को अलग इकाई के रूप मे ंमान्यता देना उचित नहीं है क्योंकि यदि मृतक जोरावर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में रामसिंह को गोद ले लिया होता तो उसकी मृत्यु के बाद विवाग्रस्त आराजीयात का नामांतरकरण अकेली किशनकंवर के नाम नहीं होकर रामसिंह के नाम पर भी हेाता जबकि जोरावरसिंह की मृत्यु पर विवादग्रस्त आराजीयात का नामांतरकरण अकेली बेवा किशनकंवर के नाम तस्दीक हुआ है। इस सबंध में कोई गोदनामा रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पत्रावली में पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि जोरावरसिंह ने अपने जीवनवकाल में रामसिंह को गोद लिया है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि जोरावर सिंह संवत 2018 में फोत हुये थे तथा जोरावर सिंह के फोत होने पर रामसिंह गोद आ गया था। इस प्रकार यह साबित होता है कि रामसिंह जोरावरसिंह की मृत्यु के उपरांत ही गोद आया है। यदि यह मान भी लिया जावे कि रामसिंह जोरावर सिंह की मृत्यु से पूर्व गोद आ गया था तब भी उसे अलग इकाई की मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि रामसिंह के स्वयं के बयान के अनुसार गोद के समय उसकी आयु 5 वर्ष थी। इस प्रकार वह स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम नहीं था और ना उसके पास स्वतंत्र जीवनयापन करने के लिए आराजीयात उसके नाम थी। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत मानते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/6907/2002/नागौर रामसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस सीलिंग प्रकरण के समस्त विश्लेषण व विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमियों के सबंध में अधीनस्थ न्यायालयों में यद्यपि बार–बार परीक्षण व विवेचन किया गया है परन्तु संपूर्ण रूप से सभी संबंधित साक्ष्यों के आधार पर पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत अंतिम विधिसंगत निष्कर्ष पर पहुंचना अभी भी अपेक्षित है। जहां तक रामसिंह के जोरावर सिंह के गोद जाने का प्रश्न है, उसके सबंध में 7 व्यक्तियों के बयान हुये है जिसमें उन्होंने माना है कि जोरावर सिंह की मृत्यु के समय रामसिंह लगभग 5 वर्ष का था। उस समय रामसिंह के कम उम्र का होने के कारण नामांतरकरण प्रक्रिया में उसका नाम नहीं आने के प्रश्न की भी पूर्ण जांच व परीक्षण अपेक्षित है। गोद जाने के संबंध में सभी परम्परागत रस्में और लेन व देन की रस्में पूर्ण किया जाना व अन्य संबंधित दस्तावेजी साक्ष्यों की भी पूर्ण जांच व परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जयदेव कंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली के रेकार्ड पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें 1979 में मृत्यु होना अंकित किया है। इसके संबंध में भी इसकी प्रमाणिकता और पडने वाले प्रभाव का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। विवादित भूमियों के संबंध में जो विक्रय पत्र दिनांक 08.03.1966 व 22.04.1970 के है, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है उनका और भूमि बेचान के समय रामसिंह नाबालिग था या नहीं था, इसकी भी पूर्ण जांच व परीक्षण अपेक्षित है। यह सही है कि विवादित भूमियों के संबंध में इन विक्रय पत्रों के निर्धारित तिथी के पूर्व या पश्चात के होने के संबंध में पूर्ण व समुचित जांच कर उनके सद्भावी सिद्ध करने का भार एसेसी पर होता है तथापित इन बेचाननामों के संबंध में सम्पूर्ण जाचं व परीक्षण करने के उपरांत ही किसी विधिसगंत निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/6907/2002/नागौर रामसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय अति0 कलेक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2002 अपास्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ओजर्बेशन को मध्यनजर रखते हुये सभी संबंधित रेकार्ड व सक्ष्य से संपूर्ण जांच व परीक्षण करते हुये सीलिग भूमि अधिग्रहण के सबंध में विधिअनुसार समुचित निर्णय पारित करे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	